

संसां: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदां)-101/2019-1777

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी/अपर समाहर्ता,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णिमा/सीतामढ़ी/
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/पा० चम्पारण/जमुई/
शेखपुरा/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका

पटना, दिनांक :- 23-06-2021

विषय :- खतियान एवं मानचित्र के अनुपलब्धता की स्थिति में किए जाने वाले उपाय के संबंध में।
प्रसंग :- निदेशालय का पत्रांक-1692 दिनांक-16.06.2021
महाराज,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विशेष सर्वेक्षण के दौरान जिलों से राजस्व मीजों के गत सर्वेक्षण के खतियान एवं मानचित्र अनुपलब्ध होने की स्थिति में मार्गदर्शन के मांग के आलोक में विभागीय स्तर पर बैठक पश्चात् प्राप्ता सुझावों को संकलित कर यथोचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।

निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित कार्य एवं उपाय के अनुपालन को निश्चित समय-सीमा के अंतर्गत संपन्न किया जाना है। इस क्रम में कार्य एवं उपाय को निर्धारित तिथि तक संपन्न करने हेतु समय-सीमा निर्धारण कर इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्य संपन्न कर इस निमित्त तैयार MLS में तत्समय इन्द्राज किया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझे।

अनुसन्धक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23-06-2021

ज्ञापक :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदां)-101/2019-1777

प्रतिलिपि:- संबंधित जिलों के सभी निदेशालय स्तरीय नोडल पदाधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

झापांक :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा०)-101/2019 1777 पटना, दिनांक 23-08-2021
प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

झापांक :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा०)-101/2019 1777 पटना, दिनांक 23-08-2021
प्रतिलिपि:- सुश्री सुरभि सिंह, एम०आई०एस० डाटा एनालिस्ट, आई०टी०सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

[Handwritten signature]

दिनांक- 28.04.2021 एवं दिनांक- 09.06.2021 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रपत्र-5 का लेखन एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य करने हेतु वैकल्पिक कागजातों से सहायता लेने के संबंध में जून के माध्यम से हुई बैठक की कार्यवाही।

दिनांक- 28.04.2021 को हुए बैठक में श्री श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0, सेवा-निवृत्त, श्री विनय कुमार ठाकुर, बि0प्र0से0, उप सचिव, राजमवन, बिहार, पटना एवं श्री सुबोध कुमार सिंह, बि0प्र0से0, आप्त सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना भाग लिए।

दिनांक-09.06.2021 की बैठक में श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री चंद्रशेखर विद्यार्थी, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू-अर्जन, श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चकबन्दी, श्री अंगिल कुमार सिंह, चकबन्दी अनुदेशक, चकबन्दी, एवं श्रीमती साईदा खातून, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग ने बैठक में भाग लिए।

2. निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत विगत सर्वेक्षण पश्चात् अधिसूचित अधिकार-अभिलेख/मानचित्र के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रथम चरण के 20 जिलों से यह सूचना दी जा रही है कि इन मामलों में प्रपत्र-5 किस प्रकार तैयार किया जाए, के संबंध मागदर्शन दिया जाए।

3. बैठक में उपस्थित सदस्यों से विमर्श पश्चात् यह स्पष्ट हुआ कि विगत सर्वेक्षण के अधिसूचित अधिकार-अभिलेख की अनुपलब्धता की मौजावार निम्न स्थिति हो सकती है:-

(क) अधिकार-अभिलेख अनुपलब्ध, परंतु नक्शा उपलब्ध।

(ख) अधिकार-अभिलेख उपलब्ध, परंतु नक्शा अनुपलब्ध।

(ग) अधिकार-अभिलेख एवं नक्शा दोनों अनुपलब्ध।

4. दिनांक-28.04.2021 एवं 09.06.2021 को हुई बैठक पश्चात् निम्न महत्वपूर्ण सुझाव विगत सर्वेक्षण के अधिकार-अभिलेखों एवं मानचित्र अनुपलब्ध होने की स्थिति में प्राप्त हुए:-

- (i) सभी अनुपलब्ध अधिकार एवं मानचित्रों की गामवार (घादरों की स्पष्ट संख्या के साथ) सूची जिला राजस्व कार्यालय एवं अंचलों से प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त कर ली जाय।
- (ii) जिन मौजों के अधिकार-अभिलेख अंचलों एवं जिला अभिलेखागार में अनुपलब्ध है, उन मामलों में यह जांच कर ली जाय कि अनुपलब्धता के क्या कारण हैं एवं आवश्यकतानुसार संबंधित धाना में स्टेशन डायरी इंट्री/प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जाय। यदि पूर्व में विगत सर्वेक्षण के खतियान खो जाने अथवा नष्ट होने की घटना हुई हो तो इसकी सूचना स्थानीय धाना की स्टेशन डायरी इंट्री ससमय की गई हो, इस आशय की छानबीन जिला कार्यालय, राजस्व शाखा की स्तर से कर ली जाय।
- (iii) जिला अभिलेखागार एवं संबंधित अंचल कार्यालय में जिन मौजा का विगत सर्वेक्षण का खतियान अनुपलब्ध है, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाना अपेक्षित होगा।
- (iv) जिला नजारत/जिला का सामान्य शाखा/बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से जिन मौजों के नक्शा के सभी घादर या कुछ घादर अनुपलब्ध हो तो उनसे भी इस आशय का प्रमाण-पत्र कर लिया जाना अपेक्षित होगा।

(ग) राज्य के पुराने अभिलेखागारों में पूर्व के समय के जमींदारों का एक "तीजी बस्ता" हुआ करता था। इन तीजी बस्ता में संघारित दस्तावेजों की सहायता से प्रपत्र-5 को तैयार किया जा सकता है।

(घ) विगत सर्वेक्षणों के पश्चात् अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध होने की स्थिति में जिला अभिलेखागारों में उक्त सर्वेक्षण के दौरान तैयार खेसरा पंजी एवं प्रारूप खतियान जो प्रकाशित हुए होंगे आपत्ति प्राप्त हेतु, के आधार पर भी प्रपत्र-5 विशेषकर सरकारी भूमि के मामले में, तैयार करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ङ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-19(9)रा0, दिनांक- 03.01.2018 जो क्षतिग्रस्त जमाबन्दी पंजी को पुनर्गठित करने के सम्बन्ध में है, को भी सन्दर्भित किया गया। उक्त पत्र में जिन 15 प्रकार के अभिलेखों/पंजीयों के आधार जमाबंदियों को पुनर्गठित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, उसका शतप्रतिशत अनुपालन अचल स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही इन के आधार पर भी प्रपत्र-5 के निर्माण का निर्णय लिया जा सकता है।

(च) जिन मामलों में विगत अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध हो उन मौजों के रैयतों द्वारा प्रपत्र-2 में दी गई स्वघोषणा में दिए गए विवरण का रैयतवार स्थल सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। साथ ही उपरोक्त (क) से (ङ) तक में वर्णित कागजातों के आधार पर सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। तत्पश्चात् ऐसे मामलों में जो प्रपत्र-5 तैयार होंगे, उनका ग्राम-सभा में अनुमोदन अपेक्षित होगा तथा ऐसे मामलों में दखल-कब्जा का कोई स्पष्ट मामला ना हो, इस संबंध में अवगत होने के पश्चात् इनके आधार पर भी प्रपत्र-5 अंतिम रूप से तैयार किया जा सकता है एवं ऐसे सत्यापित आँकड़ों का अनुमोदन ग्राम-सभा के माध्यम से किया जाए।

(xiv) चकबन्दी अभियान के तहत कई मौजों का सी0एस0/आर0एस0 खतियान एवं नक्शा चकबन्दी कार्यालयों द्वारा प्राप्त किया गया है और यह संभव है कि अनुपलब्ध खतियान एवं नक्शा इन कार्यालयों द्वारा वापस न किया गया हो। अतः ऐसे मामलों में जाँच कर अनुपलब्ध खतियान एवं नक्शा उपलब्ध कराया जा सकता है।

साथ ही चकबन्दी अभियान के तहत पूर्व खतियान के आधार पर प्रपत्र-17 का भाग-1 तैयार किया गया था, जिन मौजों का खतियान अनुपलब्ध है, उन मौजों का प्रपत्र-5 तैयार करने में प्रपत्र-17 के भाग-1 की मदद ली जा सकती है।

(xv) सिविल न्यायालय द्वारा कतिपय मामलों में मौजों का खतियान प्रदर्श हेतु मांग की जाती है और यह संभव है कि न्यायालय का मौजों का खतियान वापस न हुआ हो। ऐसे मामलों में अचल कार्यालय, जिला विधि शाखा एवं जिला अभिलेखागार, सरकारी अधिवक्ता तथा लोक अभियोजक से संपर्क कर अनुपलब्ध खतियानों को न्यायालयों से विधिवत् प्राप्त कर सकते हैं।

5. बैठक के दौरान कुछ अन्य सुझाव भी प्राप्त हुए, जो विशेष सर्वेक्षण के कार्य में सहायक होंगे-

- (i) जिन मौजों खतियान अनुपलब्ध हो, वहां यदि नक्शा उपलब्ध है तो उन नक्शों में साधारण सरकारी भूमि के चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित होते हैं, उसके आधार पर भी सरकारी भूमि मामलों उन्हें पहचानने अथवा चिन्हित करने की कार्रवाई की जा सकती है।
- (ii) जिन मौजों के खतियान अनुपलब्ध हो उक्त राजस्व ग्राम का अगर सी०एस०/आर०एस० नक्शा उपलब्ध है तो बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से उक्त राजस्व ग्राम का सी०एस०/आर०एस० नक्शा के आधार पर खेसरावार रकवा प्राप्त किया जा सकता है, जिनका उपयोग प्रपत्र-5 के निर्माण में हो सकता है।
- (iii) अंचलों में भी सरकारी भूमि/सैरातों/भू-हदबंदी से अर्जित भूमि पंजी होती है। अंचल कार्यालय द्वारा भी इन पंजियों से सत्यापित सूची की मांग कर प्रपत्र-5 तैयार करने में मदद ली जा सकती है।
- (iv) विभिन्न मौजों के खतियान अनुपलब्ध है परंतु विगत कई वर्षों से राजस्व कर्मचारियों द्वारा सरकारी भूमि एवं सैरातों की पंजी हल्का कचहरी में संचारित रखा जाता है। उस स्तर से भी अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त की जा सकती है। इन मामलों में हल्का कर्मचारियों के स्तर से अगर सरकारी भूमि की पंजी उनको हल्का कचहरी में नहीं है तो इस आशय का प्रमाण-पत्र विधिबद्ध प्राप्त कर लिया जाय।
- (v) कुछ जिलों यथा- दरभंगा प्रमंडल के जिले एवं अन्य जिलों में विगत सर्वेक्षण (आर०एस०) के खतियान एवं नक्शा अधिसूचित किए जाने के बावजूद अभी भी जमाबंदी सी०एस० खतियान के आधार पर है। ऐसे जिलों में यह आवश्यक होगा कि वहां विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व जमाबंदी को नये अधिकार-अभिलेख के आधार पर अद्यतन/संशोधन कर लिया जाय।
- (vi) सरकारी भूमि जो अर्जन, दान, बिक्री, हस्तांतरण से विभिन्न विभागों को प्राप्त हुआ है और उनकी जमाबंदी दर्ज नहीं है। ऐसे मामलों में अविलंब उक्त विभागों के स्तर से सक्रियता के साथ अंचल कार्यालय से जमाबंदी कायम कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

शापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा०)-101/2019-1653 पटना, दिनांक :- 11-08-2021

प्रतिलिपि:- श्री श्यामल किशोर पाठक, मा०प्र०से०, (सेवा-निवृत्त)/श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री चंद्रशेखर दिद्यार्थी, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू-अर्जन/श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चक्रबन्दी निदेशालय/श्री अनिल कुमार सिंह, चक्रबन्दी अनुदेशक, चक्रबन्दी निदेशालय /श्री विनय कुमार ठाकुर, बि०प्र०से०, उप सचिव, राजभवन/श्री सुबोध कुमार सिंह, बि०प्र०से०, आप्त सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग/श्रीमती साईदा खातून, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

झापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)-101/2019 1653 पटना, दिनांक :- 11-06-2021
प्रतिलिपि- सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सील, मू-अभिलेख एवं
परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
मू-अभिलेख एवं परिमाण

झापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)-101/2019 1653 पटना, दिनांक :- 11-06-2021
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को प्रधान आप्त
सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
मू-अभिलेख एवं परिमाण